28/2/26 आज पत्रावली पेशी में लोकसेवक अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर, अप्रार्थी की तरफ से श्री अमरकुमार पारीक अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र का निराकरण किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी आपस में अपने वाली भूमि के बारे में डेड पर सहमत है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी की कोई एतराज नहीं है अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सहमति के आधार पर पेश दस्तावेज प्रार्थी का क्र० 25/RTA खारिज किया जाता है। मिसल विभाग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली निर्णित होकर सम्बन्धित अभि० को हो। अभि० खुले न्यायालय में सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

प्रार्थी
Sir
Corrected
Sir
Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.12 12:57:13 IST
Reason: SelfAttested